

लघु उद्योग विद्युत करघा क्षेत्र हेतु सादे विद्युतकरघों के स्वस्थाने उन्नयन (इन सिटू अपग्रेडेशन) के लिये प्रारंभिक योजना

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स), जो कि 01.4.1999 को प्रारंभ की गई थी, ने वस्त्र क्षेत्र को अप्रचलित प्रौद्योगिकी से उबरने में सहायता की तथा बड़े पैमाने की क़िफायतें निर्माण की। विकेंद्रित विद्युत करघा क्षेत्र ने भी शटललेस करघे तथा स्वचालित करघे संस्थापित करके प्रौडनियों के अन्तर्गत पर्याप्त लाभ प्राप्त किये। तथापि भारत में कुछ आर्थिक दृष्टि से दुर्बल विद्युत करघा इकाइयां आज भी उनके मूल आकार में ही हैं और उनके मौजूदा सादे विद्युत करघों का उनके ही स्थान पर आधुनिकीकरण करना चाहती हैं। इन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल इकाइयों को उनके ही स्थान पर आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रौडनियों के अन्तर्गत नहीं हो सकती क्योंकि (i) न्यूनतम बेंचमार्क स्वचालित करघा है (ii) ऐसे छोटे सादे विद्युत करघा धारक सीधे स्वचालित करघों से उन्नयन करना व्यवहार्य नहीं समझते। अतएव सरकार ने आर्थिक दृष्टि से दुर्बल विद्युत करघा इकाइयों को जो उनके मौजूदा साधारण करघों में अतिरिक्त विशेषताएं जैसे कि वेफ्ट स्टॉप मोशन, वार्प स्टॉप मोशन, सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन, एफिशिएन्ट ब्रेकिंग डिवाइस, अँन्टी क्रैक डिवाइस, सेल्फ लुब्रिकेटिव नायलॉन आदि से मेटालिक पार्ट बदलना आदि के साथ उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

- उद्देश्य :-** योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से दुर्बल इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिन्हें प्रौडनियों के लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे कि मौजूदा सादे करघों को विशिष्ट अतिरिक्त उपकरणों को जोड़कर उन्नयन करके उत्पादित कपड़े की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार आए एवं वे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये सक्षम बन सकें।
- योजना की अवधि :-** विद्युत करघा क्षेत्र के लिये सादे विद्युत करघों के स्वस्थाने उन्नयन की नई प्रारंभिक योजना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 12 वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने तक होगी (2013-14 से 2016-17)
- पात्र इकाइयाँ :-** (i) इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये विद्युत करघों के संस्थापन के लिये वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी सूचना ज्ञापन के समक्ष विद्युत करघा परमिट / पावती होना पूर्व - आवश्यक है।
(ii) इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये विद्युत करघा परमिट / पावती के अनुसार विद्युत करघा इकाई का आकार अधिकतम 8 मौजूदा सादे विद्युत करघे हैं। उन इकाइयों को वरीयता दी जाएगी, जिनकी घरेलू इकाइयों में तथा अथवा पात्र इकाइयों में एक छत के भीतर अधिकतम दो से चार करघे हैं।
(iii) इकाई का अपने नाम पर अथवा धारक के नाम बिजली की बिल हो। पट्टादाता तथा पट्टेदार के बीच बिजली सहभाजन करार हो, यदि अहाता किराये पर है।
- सबसिडी की मात्रा :-** (i) भारत सरकार उन्नयन उपकरणों / किट, डॉबी तथा जकार्ड की लागत के 50 % तक वित्तीय सहायता प्रदान करगी बशर्ते के प्रति विद्युत करघा अधिकतम सबसिडी रुपये 15,000/- होगी। 8 विद्युत करघो वाली प्रति इकाई अधिकतम सबसिडी रु. 1,20,000/- होगी।
(ii) उपकरण किट के विनिर्माताओं को सूचीबद्ध / पंजीकृत करके समय -समय पर वस्त्र आयुक्त इन अनुमेय उपकरणों के अधिकतम दर निर्धारित करें।
(iii) उपरोक्त सबसिडी क्रेडिट लिंकड अथवा अन्यथा दोनों प्रकार विस्तृत की जाएगी।
(iv) योजना के अन्तर्गत समाविष्ट / लाभ उठाए गए लाभार्थी को इकाई द्वारा धारित बाद में लगाए गए करघों के लिये योजना का नवीन लाभ तीन वर्ष की अवधि के बाद ही प्राप्त होगा।
- सादे विद्युत करघों के उन्नयन के लिये उपकरण :-** मौजूदा सादे विद्युत करघे निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं (उपकरणों) के साथ उन्नयन किये जाए :-

- वेफ्ट स्टॉप मोशन (ऑप्टिकल वेफ्ट फिलर)
- वार्प स्टॉप मोशन (रोक तंत्र करघे के साथ फिलामेंट यार्न हेतु स्पन यार्न या फोटोसेल टाइप के लिए इलेक्ट्रो मैकैनिक्ल वेफ्ट स्टॉप मोशन)
- सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन
- कुशल ब्रेकिंग उपकरण (इलेक्ट्रो मैकैनिक्ल)
- एन्टी क्रैक डिवाइस

- (vi) स्व-चिकनाईयुक्त नायलॉन भागों द्वारा धातु के भागों को बदलना (जैसे 2 वर्ष से अधिक अवशिष्ट अवधि के शेडिंग रोलर, पिकिंग कैम्स, पिकिंग बाउल, क्रैन्क बुशेस आदि)
- (vii) मेकैनिकल डॉबी (स्टील)
- (viii) जकार्ड (स्टील)

6. सहायक उपकरणों, डॉबी एवं जकार्ड की पात्रता :-

- (i) वस्त्र आयुक्त कार्यालय या उनके प्राधिकृत वितरकों / डीलरों के साथ पैनल में शामिल /पंजीकृत देशी विनिर्माताओं से खरीदे गए नए देशी सहायक उपकरण, डॉबी तथा जकार्ड इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। सहायक उपकरण / किट विनिर्माताओं को पैनल में शामिल करने / पंजीकृत करने के लिए मानदंड का चयन करने हेतु वस्त्र आयुक्त के अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं। पात्र मशीनरी विनिर्माताओं की सूची परिशिष्ट -I में दी गई है।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त सहायक उपकरणों जिन पर सब्सिडी प्राप्त की गई है, वे किसी अन्य योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की गई किसी अन्य सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. कार्यान्वयन :-

- (i) यह योजना वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विद्युत करघा सेवा केन्द्रों तथा राज्य सरकार के एजेंसी/ वस्त्र अनुसंधान संघों एवं विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित होगी।
- (ii) संस्थापित किये जाने वाले सहायक उपकरणों / किट की जानकारी देते हुए बुनकर / इकाई के मालिक निकटतम विद्युत करघा सेवा केन्द्र या वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रपत्र -1 में दिए गए विहित प्रपत्र में सिद्धांततः अनुमोदन हेतु आवेदन करेंगे।
- (iii) आवेदन प्राप्ति से 21 कार्य दिवसों के भीतर वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय सिद्धांततः अनुमोदन दिया जाएगा तथा सहायक उपकरणों / किट को प्राप्त करने खरीदने हेतु इकाई को अनुमोदन सूचित करेगा। सिद्धांततः अनुमोदन 6 माह के लिए वैध रहेगा जिसके अंदर बुनकरों को सहायक उपकरण / किट संस्थापित करने होंगे तथा वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में उनका दावा प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) बुनकर / इकाई का मालिक सहायक उपकरणों /किट की खरीद करेगा तथा उक्त को विद्युत करघों पर संस्थापित करेगा। तत्पश्चात, नए सहायक उपकरणों के साथ करघों का उन्नयन पूर्ण करने के बाद प्रपत्र - 2 के अनुसार विवरण देते हुए संबंधित विद्युत करघा सेवा केन्द्र / वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में दावा प्रस्तुत करेगा।
- (v) सहायक उपकरणों / किट की संस्थापना एवं शुरुआत का सत्यापन करने हेतु इकाई का निरीक्षण करने के लिए वस्त्र आयुक्त ने क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। संयुक्त निरीक्षण दल के दल में न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय से होगा, एक सदस्य विद्युत करघा सेवा केन्द्र से होगा तथा एक सदस्य क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न कार्यालय, जैसे, वस्त्र अनुसंधान संघ या आईटीएमएमए या टीएमएमए या वस्त्र समिति या पेडेक्सिल का प्रतिनिधि होगा। सहायक उपकरणों / किट की संतोषजनक संस्थापना की पुष्टि करने हेतु संयुक्त निरीक्षण दल निरीक्षण करेगा तथा संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट भरकर एवं हस्ताक्षर करके प्रपत्र - 3 में (दो प्रतियों में) संबंधित दस्तावेजों के साथ संबंधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगा। उक्त रिपोर्टों की जाँच करने के बाद वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी प्रपत्र - 3 की प्रति के साथ प्रपत्र - 4 में उसका प्रमाणपत्र /सिफारिश वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई के विद्युतकरघा विकास प्रकोष्ठ को संवीक्षा तथा आवेदक इकाइयों को पात्र सब्सिडी राशि जारी करने हेतु, दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर अग्रेषित करेगा।

8. अन्य शर्तें :-

- (i) सहायक उपकरणों के मूल मूल्य (टैक्स घटकों को छोड़कर) पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ii) पंजीकरण हेतु सहायक उपकरणों / किट के आवश्यक मानक वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- (iii) यदि यह पाया गया /साबित हुआ कि इकाई ने गलत सूचना /दस्तावेज के आधार पर सब्सिडी प्राप्त की है, तो ऐसे मामले में वस्त्र आयुक्त को साधारण ब्याज के साथ सब्सिडी की राशि की वसूली करने का अधिकार है।

9. लाभार्थियों को लाभ मिलना सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा :-

- समय -समय पर निर्धारित किये जाने के अनुसार प्रत्येक सहायक उपकरण / किट पर विनिर्माता के पंजीकरण संख्या का उत्कीर्णन / छिद्रन/निशान, सहायक उपकरण /किट कोड सं. तथा क्रम संख्या दी जाएगी। प्रत्येक सहायक उपकरण /किट हेतु दस अंकों का पहचान कोड दिया जाएगा। दस अंकों के पहचान कोड में निम्न शामिल होगा :-
- पहचान कोड के प्रथम तीन अंक (000), विनिर्माता को पैनल में शामिल करते समय वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रत्येक विनिर्माता को आर्बाइट किया गया एक मात्र विनिर्माता पंजीकरण संख्या, दर्शाता है।

- अगले दो अंक, प्रत्येक सहायक उपकरण / किट पर तीन अंक वाले एक मात्र विनिर्माता पंजीकरण संख्या के बगल में छिद्रित / उत्कीर्णित / अंकित किये जाएंगे । सहायक उपकरणों / किट हेतु पहचान कोड निम्नानुसार है

सहायक उपकरण / किट	कोड संख्या
वेफ्ट स्टॉप मोशन	01
वार्प स्टॉप मोशन	02
सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन	03
कुशल ब्रेकिंग उपकरण	04
एन्टी क्रैक डिवाइस	05
स्व-चिकनाईयुक्त नायलॉन भाग	06
डॉबी	07
जकार्ड	08

- अगले 5 अंक (00000) योजना के अंतर्गत विनिर्माता द्वारा उत्पादित सहायक उपकरणों / किट की क्रम संख्या दर्शाएगा । प्रत्येक प्रकार के उपकरणों / किट को 5 अंकों की क्रम संख्या संबंधित विनिर्माता द्वारा दी जाएगी तथा उसे वस्त्र आयुक्त द्वारा नियत किए गए उपकरण / किट कोड के बगल में छिद्रित / उत्कीर्णित / अंकित की जाए ।
 - समान करघे पर दोहरे लाभ से बचाने हेतु संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा आवेदक इकाई को वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए "मुख्य पंजीकरण संख्या के " छिद्रन / उत्कीर्णित द्वारा भी योजना के अंतर्गत उन्नत करघों की पहचान की जाएगी ।
 - घटक वार पहचान के निशान निम्नानुसार लगाए जाए :-
 - वार्प स्टॉप मोशन :- पहचान निशान वैयक्तिक स्लाइडिंग बार्स पर प्रत्येक बाजू पर छिद्रित / उत्कीर्णित / अंकित किये जाएंगे ।
 - वेफ्ट स्टॉप मोशन (ऑप्टिकल वेफ्ट फिलर) पहचान निशान परिनालिका वाल्व पर उत्कीर्णित / छिद्रित किये जाएंगे ।
 - कुशल ब्रेकिंग उपकरण पहचान निशान परिनालिका वाल्व पर उत्कीर्णित / छिद्रित किये जाएंगे ।
 - **स्व-चिकनाईयुक्त नायलॉन भाग** :- स्व-चिकनाईयुक्त नायलॉन भाग के पॉकेट पर अमिट स्याही से मुद्रांकित किया जाएगा तथा पॉकेट को सं.नि.द. के निरीक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाएगा । वैयक्तिक नायलॉन भागों पर भी पहचान संख्या होगी ।
 - **सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन** :- पहचान निशान ब्रैकेटर उत्कीर्णित / छिद्रित किए जाएंगे, जिस पर सेमी पॉजिटिव_लेट ऑफ मोशन शुरू की गई है ।
 - **डॉबी एवं जकार्ड** :- पहचान निशान साइड फ्रेम (बाएं एवं दाएं) उत्कीर्णित / छिद्रित किए जाएंगे
10. **सहायक उपकरणों पर सब्सिडी प्रगति की देखरेख** । लाभार्थियों पर योजना के प्रभाव हेतु क्षेत्रीय कार्यालय / विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के माध्यम से योजना की प्रगति की देखरेख वस्त्र आयुक्त कार्यालय करेगा । योजना के परिणाम को मापने के लिए समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसे वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा वस्त्र मंत्रालय को रिपोर्ट किया जाएगा ।
11. **शिकायत** :- इस योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों की खरीद तथा संस्थापना के बाद लाभार्थियों की शिकायत पर, वस्त्र आयुक्त द्वारा उचित समझे गए सदस्यों वाली वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शिकायत समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

